



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062026-273574
CG-DL-E-18062026-273574

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3063]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 17, 2026/ज्येष्ठ 27, 1948

No. 3063]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2026/JYAISTHA 27, 1948

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2026

का.आ. 3185(अ).—केंद्रीय सरकार जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 22 जून, 2026 को वह तारीख नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध, जहां तक उनका संबंध शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) में किए गए संशोधनों से है, जैसा कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के क्रम संख्यांक 29 के समक्ष विनिर्दिष्ट हैं; प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. एच-11013/15/2025-डीएस संकल्प एवं नैप्स कार्या. (ई-75568)]

निरंजन कुमार सुधांशु, अपर सचिव

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th June, 2026

S.O. 3185(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 22nd day of June, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relate to amendments in the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), as specified against serial number 29 of the Schedule to the said Act, shall come into force.

[F. No. H-11013/15/2025-O/o DS Sankalp & Naps (E-75568)]

NIRANJAN KUMAR SUDHANSHU, Addl. Secy.